

बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

गॉधीनगर, भीलवाड़ा (राज.)

सार्वजनिक नीलामी सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन एक्ट 2002 (2002 का सं. 54) नियम 8 व 9 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन एक्ट 2002 के अधीन बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने निम्नलिखित वर्णित विवरण वाले ऋणियों को नोटिस जारी किया है और तत्पश्चात् बन्धक सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 नियम 8 व 9 के अंतर्गत जो है, जैसी है, जहाँ है, और जितनी भी उपलब्ध है, के आधार पर बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गॉधीनगर, भीलवाड़ा (राज.) पर टेण्डर नीलामी द्वारा विक्रय का निर्णय लिया है। ऋणियों, बकाया ऋण, आरक्षित मूल्य एवं स्थावर सम्पत्तियों का विवरण निम्न प्रकार है : -

-: नीलामी की शर्त :-

1. इच्छुक खरीददार अपनी निविदा निर्धारित प्रपत्र (बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गॉधीनगर, भीलवाड़ा (राज.) शाखा में तथा बेवसाईट www.brkgb.com पर उपलब्ध) पर अपने द्वारा प्रस्तावित मूल्य लिखकर एवं सील बन्द लिफाफे में धरोहर राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गॉधीनगर, भीलवाड़ा (राज.), के पक्ष में हो, के साथ नीलामी की तिथि से पूर्व कार्यदिवस तक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गॉधीनगर, भीलवाड़ा (राज.) पर या नीलामी की तिथि को नीलामीकर्ता के पास नीलामी स्थल पर सुबह 10:00 बजे के पश्चात् एवं निविदा खोलने से पूर्व जमा करवाकर नीलामी में भाग ले सकते हैं। निविदा खोलने के पश्चात समस्त निविदा कर्ताओं के बीच खुली बोली लगवाने का विकल्प नीलामीकर्ता के पास सुरक्षित है।
2. अधिकतम राशि की निविदा के साथ डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक रखा जायेगा तथा शेष निविदाकारों के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक नीलामी के तुरन्त बाद सम्बन्धित निविदाकारों को लौटा दिया जायेगा। अधिकतम निविदाकार को नीलामी राशि की 25 प्रतिशत राशि मौके पर ही नीलामी के तुरन्त बाद जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो कि बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गॉधीनगर, भीलवाड़ा (राज.) के पक्ष में हो, नीलामीकर्ता के पास जमा करानी होगी, लेकिन विशेष परिस्थितियों में निविदाकार को 24 घण्टे के अन्दर यह राशि जमा कराने की अनुमति दी जा सकती है। धरोहर राशि को भी इस राशि में समायोजित किया जायेगा। यदि निविदाकार उपरोक्तानुसार राशि जमा नहीं कराता है तो 10 प्रतिशत की धरोहर राशि जब्त समझी जायेगी, एवं इस परिस्थिति में अन्य निविदाकार जिसका प्रस्ताव अधिकतम हो को विक्रय करने पर विचार किया जा सकता है।
3. शेष 75 प्रतिशत राशि बैंक द्वारा जारी मांग पत्र पर से पन्द्रह दिवस के अन्दर जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो कि बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गॉधीनगर, भीलवाड़ा (राज.) के नाम देय हो, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गॉधीनगर, भीलवाड़ा (राज.) की शाखा के शाखा प्रबन्धक को जमा करानी होगी अन्यथा पूर्व में जमा 25 प्रतिशत राशि बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गॉधीनगर, भीलवाड़ा (राज.) में जब्त समझी जायेगी।
4. नीलामी की अन्य शर्त निविदा प्रपत्र में वर्णित निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जायेगी। सम्पत्ति जो है, जैसी है, जहाँ है, और जितनी भी उपलब्ध है, की स्थिति में बेची जायेगी। उपरोक्त वर्णित विवरण क्षेत्रफल व सीमाएं बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार है। मौके पर निम्न स्थिति होने पर प्राधिकृत अधिकारी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सम्पत्ति हस्तान्तरण व विक्रय विलेख निष्पादित करवाने में लगने वाले समस्त व्यय यथा रजिस्ट्रेशन व्यय, स्टाम्प ड्यूटी एवं हस्तान्तरण फीस, इत्यादि क्रेता द्वारा ही वहन की जायेगी। बन्धक सम्पत्ति पर बैंक को किसी भी प्रकार के भार व अन्य दावों की जानकारी नहीं है। प्रस्ताव की तिथि को उससे पूर्व या उसके बाद सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी भी तरह के चार्ज, टैक्स या अन्य दायित्वों (यदि कोई हो तो) का वहन क्रेता को ही करना पड़ेगा जिसके लिये बैंक प्रतिभूत लेनदार जिम्मेदार नहीं होगा।
5. नीलामी/विक्रय की पुष्टि प्राधिकृत अधिकारी, के क्षेत्राधिकार में होगी, जिसे किसी भी कारण एवं बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है। धरोहर राशि या विक्रय प्रतिफल के रूप में जमा किसी भी राशि पर किसी भी परिस्थिति में कोई ब्याज देय नहीं होगा।
6. नीलामी या नीलामी के किसी भी खण्ड को रद्द करने, शामिल करने या निकालने का अधिकार प्राधिकृत अधिकारी के पास सुरक्षित है तथा इसके लिये बैंक द्वारा कोई भी क्लेम स्वीकार नहीं किया जायेगा।
7. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अपना फोटो युक्त पहचान दस्तावेज पेश करना होगा। किसी अन्य के लिए बोली में भाग लेने के लिए सम्बन्धित व्यक्ति को इस हेतु अधिकृत किये जाने का दस्तावेज पेश करना होगा।
8. नीलामी की अन्य शर्त नीलामीकर्ता द्वारा मौके पर ही सूचित की जायेगी। संपत्ति एवं नीलामी के बारे में अधिक जानकारी के लिये बेवसाईट www.brkgb.com या अधोहस्ताक्षरकर्ता से सम्पर्क किया जा सकता है।